न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27/2018 (राजसमन्द डिकी)

1. लालसिंह पिता कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी–ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)
2. बबलुसिंह पिता कूपसिंह जी रावत, निवासी हीरा की बस्सी–ए, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मूलचन्द जी सेवक, निवासी नारायण जी का सेरिया, देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द के बजाय :–

1/1. दीपक पिता कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/2. विकास पिता कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/3. दीपमाला पुत्री कन्हैयालालजी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/4. आरती पुत्री कन्हैयालाल जी शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

1/5. कमलादेवी बेवा कन्हैयालाल शर्मा, निवासी देवगढ़, जिला राजसमन्द

2. तहसीलदार, देवगढ़, जिला राजसमन्द(राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्तकारी अधि.1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक
दिनांक 05.06.2017, प्र. सं. 86/11

———::———

उपस्थित (वक्तबहस) 1– श्री डी. एस. कर्णावट अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाशक र.सं. 1/1, 1/5

3– राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———::———

निर्णय दिनांक

18–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान का"तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हीरा की बस्सी–ए में आराजी नंबर 273 रकबा 9 बिस्वा व आराजी नंबर 269 रकबा 19 बिस्वा स्थित है, जो वादीगण के पिता कूपसिंह पिता चमना के खातेदारी में चली आ रही थी। उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10–02–1983 में रजिस्टर्ड विकय पत्र से वादीगण के पिता द्वारा बेचान की गयी भूमि के साथ उक्त भूमि मिलो भगत से अपने नाम दर्ज करवा ली, जबकि वादीगण के पिता द्वारा आराजी नंबर 249 से 253 व 264/249 का ही विकय किया गया था। विवादित दोनों आराजी नंबर 273 व 269 का कभी भी विकय नहीं किया गया उक्त भूमियों पर कब्जा आज भी वादीगण का ही चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं। वादीगण का उक्त भूमियों पर वर्ष 1983 से कब्जा होने से एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादीगण खातेदार हो चुके हैं। अतएवं वादीगण को आराजी नंबर 273 एवं 269 का खातेदार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगस्त भूमि जरिये विकय पत्र से प्रतिवादी द्वारा कय की जाकर उनका कब्जा है। वादीगण उक्त रजिस्टर्ड विकय पत्र को जब तब सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लेते, तब तक वादीगण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की दाद पाने के अधिकारी नहीं है। अतएवं वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दिनांक 05–06–2017 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद राजस्व न्यायालय के क्षत्राधिकार का नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा दिनांक 21–05–2018 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 13–05–2018 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर उन्हें उक्त निर्णय की जानकारी हुई। इसी कारण अपील पेश करने में देरी हुई है, जिसे न्यायहित में कण्डोन किया जाना आवश्यक है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा दफा 5 जाब्ता मियाद पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी तो यह पाया कि प्रकरण में दिनांक 05–06–2017 के निर्णय की अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–08–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, जबकि इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–05–2018 को प्रस्तुत की गयी है। जो करीब अपील करीब 9½ माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसके लिऐ देरी के जो कारण लिये गये हैं, वह न तो उचित है, न ही पर्याप्त। फिर भी प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगण न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/5 की ओर वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/2 से 1/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में ही वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाबदावा लिये, बिना तनकियात बनाये एवं बिना शहादत लिए व बिना सुने राजस्व कैम्प में निर्णय पारित

किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये हैं तथा सूचना नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत अपीलान्ट/ वादीगण को सुनकर निर्णय किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ में राजस्व कैम्प में दिनांक 05–06–2017 को वादीगण की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विवादित भूमि के खातेदार हैं, जब तक उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवा लिया जाता तब तक अपीलान्ट/वादीगण राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार की राहत पाने के अधिकारी नहीं हैं। उपरोक्त आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 05–06–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

विनोदसिंह पिता स्व. लक्ष्मणसिंह रावत जी रावत
निवासी नगातों की गुआर खजेडिया, (खजेडिया), तह0 छापली, तह.भीम, जि.राजसमन्द व अन्य

बनाम

रोडसिंह पिता देवीसिंह
निवासी छापली भीम, जिला राजसमन्द व अन्य

अपील नं॰.....11/2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....भीम..... मुकाम.....मुवर्खे.....24.....माह.....05..... ..2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....14.....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... ..पक्षकारान

व हाजरी...श्री मदनसिंह चौहान ....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री भंवरसिंह चौहान

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 24–05–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....14.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया ।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।